

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 23(16)लेखा/आकाशि/छा.स्कूटी योजना/2020-21/1861


दिनांक :- 8/10/2020

संशोधन

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अन्तर्गत देय लाभ (स्कूटी वितरण) के बिन्दु संख्या 3(1) में 12वीं (सी.सै.) परीक्षा उत्तीर्ण के प्राप्तांक की वरीयता सूची अनुसार 1000 (एक हजार) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी, के स्थान पर "प्रतिवर्ष 2019-20 से 1500 (एक हजार पांच सौ) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी" प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिन्दु संख्या 4(2) छात्रा के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति की वार्षिक आय रू. 2,00,000 (दो लाख रूपये) से कम होनी चाहिए के स्थान पर "वार्षिक आय रू. 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपये)" प्रतिस्थापित की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 102000292 दिनांक 18.01.2020 द्वारा जारी सहमति पर प्रदान की जाती है।


(सिदेश नायक) 00/10.
आयुक्त


कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ 23(16)लेखा/आकाशि/छा.स्कूटी योजना/2020-21/1862-1868

दिनांक :- 8/10/2020.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।


(एच. आर. पवार)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर